Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding enactment of Uniform Civil Code.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज फॉरेस्ट रेंजर डे है, इसलिए मैं आपको और माननीय प्रधान मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ही मैं पेड़ लगाकर आया हूं कि आपने इतना बड़ा इनीशिएटिव लिया । गवर्नमेंट बिजनेस के बाद आप नए सांसदों को मौका दे रहे हैं और यह लोक सभा सांसदों की है, इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं ।

स्पीकर महोदय, वर्ष 1947 में भारत-पाकिस्तान का जिस प्रकार से बंटवारा हुआ और उसके बाद कांस्टीट्यूएंट असेंबली में जिस तरह के डिबेट्स हुए, तो हमारी कांस्टीट्यूएंट असेंबली बनाने वाले जो पूर्वज थे, उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाए, जो हमारे जैसी पीढ़ियों के लिए उन्होंने छोड़ दिए । उस पीढ़ी के लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाम का एक चैप्टर इस संविधान में जोड़ा । उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर हमने कई कानून बना लिए, जैसे कि राइट टू एजूकेशन द्वारा कैसे 14 साल के बच्चों को शिक्षा देंगे, उसी तरह से आंगनबाड़ी कैसे होगा, मिड डे मील कैसे होगा ।

SHRI KALYAN BANERJEE : That is not correct. That was enacted because of the judgement of the Supreme Court. Article 21 was amended for giving the right. That is under Chapter III and not under Chapter IV.

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं यह कह रहा हूं कि आंगनबाड़ी हमने बना दिया, मिड डे मील स्कीम बना दिया, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट हैं । मेरा यह कहना है कि उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44 नंबर है, जो यह कहता है कि इस देश में यूनीफार्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी इस देश में हिंदू-मुसलमान-पारसी-ईसाई के नाम पर लड़ाई करते हैं, जैसे कि अभी श्री के. सूरेश

जी पोप जॉन पॉल को बुलाने की बात कर रहे थे । भारत सरकार ने लॉ कमीशन बनाया है । लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट है जो कहती है कि अब समय आ गया है कि भारत को एक यूनीफार्म सिविल कोड बनाना चाहिए जिससे ट्रिपल तलाक जैसे कानून बनाने की आवश्यकता न पड़े । मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आप इस देश में यूनीफार्म सिविल कोड का बिल लेकर आइए जिससे हम सभी भारतीय हों । ऐसा न हो कि कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर कोई ईसाई के नाम पर राजनीति करे । यह देश हिन्दुस्तान है और यहां पर रहने वाले सभी लोग हिन्दुस्तानी हैं और भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए । सीआरपीसी एक है, आईपीसी एक है । अगर सीआरपीसी एक है तो यूनीफार्म सिविल कोड कैसे नहीं है? जय हिन्द, जय भारत ।

माननीय अध्यक्ष: श्री किरिट पी.सोलंकी, श्री देवजी. एम. पटेल, श्री नारण भाई काछड़िया एवं श्री उदय प्रताप सिंह को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।